ग्राम पंचायत ठेहड, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ठेहड, विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति संतोष कुमारी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति इंदु बाला	23-01-16 से अद्यतन

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जरनैल सिंह	21-05-12 से 14-05-13
2.	श्री बृज लाल	15-05-13 से अद्यतन

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	6	पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना।	0.51
2.	7	अनुदानों का उपयोग न करना।	14.96
3.	9	औपचारिकता के बिना क्रय करने बारे	15.62
4.	10	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	6.11
5	12	320 बैग सीमेंट के बिल/वोउचर न प्रस्तुत करना	विवरणानुसार

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत ठेहड , विकास खण्ड व तहसील नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03 /2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती

अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20-02-2017 से 25-02-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 09 /13,09/14 व 09/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07/13, 02/15 व 11/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत ठेहड , विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 52 दिनांक 25 -02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ठेहड से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत ठेहड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत ठेहड के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	17612	73071	**90683**	45500	**45183**
2014-15	45183	67049	**112232**	48078	**64154**
2015-16	64154	56855	**121009**	27419	**93590**

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत ठेहड के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	1158882	4511895	**5670777**	3798342	**1872435**
2014-15	1872435	2433874	**4306309**	3211185	**1095124**
2015-16	1095124	3392642	**4487766**	2992022	**1495744**

दिनांक 31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB sadwan	20069021499	69734
2.	----do------	50054974387	1149260
3.	HGB SULIYALI	87980100045990	122544
4.	----do------	87980100057959	26603
5.	----do------	87980100010833	78430
6.	----do------	87980100058499	41337
7.	----do------	87980100057968	101426
		TOTAL	**1589334**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1589334

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (1+2):- ₹ 1589334

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व सात पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है। अत:नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-"क" व "ख" के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 नियमों के विरुद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के

अनुसार सात बैंक बचत खाते खोले गए है। अत:नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त पांच खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.51 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.51 लाख की वसूली शेष थी ।

गृ हकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	9000	12000	21000	----	21000
2014-15	21000	14000	35000	----	35000
2015-16	35000	16000	51000	----	51000

जाँच में पाया गया कि गत तीन साल से पंचायत द्वारा ग्रह कर की वसूली नही की जा रही है। जो की एक गम्भीर मामला है। अत: गृह कर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व गृह कर की वसूली नियमित रूप से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹ 14.96 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹1495744 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49 दिनांक 25-02-17 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत ठेहड को

अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार सचिव द्वारा तैयार रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित किया जायेगा परन्तु अवधि 4/15 से 3/16 तक की रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए इन रोकड़ बहियों को सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं	**रोकड़ बही का नाम**	**अवधि**
1.	सामान्य रोकड़ बही	4/15 से 3/16

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹11.36 लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1136307 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 50 दिनांक 25-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ठेहड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय की गई ₹ 6.11 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा पर ₹611282 की निर्माण सामग्री **परिशिष्ट-3** को क्रय

उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है । जो की एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 50 दिनांक 25-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ठेहड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत समस्त क्रय सामग्री को भण्डार पुस्तको में दर्ज कर व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- 51 दिनांक 25-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ठेहड को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर

12 बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे :-

वाटर शेड निधि की रोकड़ बही की जाँच के दौरान पाया गया कि वाउचर सं -63 से 70 के दौरान 500 सीमेंट बैग की खरीद हेतु भुगतान दर्शाया गया है अंकेक्षण के दौरान जाँच में केवल 180 बैग सीमेंट की खरीद से सम्बन्धित बिल/वोउचर ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए जबकि शेष 320 बैग सीमेंट से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं कि ये ग ये जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: अनुपालना से आगामी ऑडिट में उक्त बिल/ वाउचर को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

15 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

16 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2)102/2017–खण्ड–1–4712–4715
दिनाँक 28–07–17 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत ठेहड़, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881